दिनांक	आज्ञा पत्र	
27.6.2018	पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत ।	

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण/अपीलान्ट ने अदालत मातहत में वास्ते घोषणार्थ, स्थाई निषेधाज्ञा का पेश कर खाता नं0-16 के खसरा नं0 124, 170, 381 कुल किता-3 रकबा 6 बीघा 3 बिस्वा के ऐकाकी खातेदार वादीगण के पिता मांगीलाल पुत्र रामदयाल ब्राहमण कुद काश्त दर्ज है । उक्त आराजी में विवाद केवल खसरा नं0 381 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा का ही विवाद है इस आराजी की खातेदारी जमाबंदी में प्रतिवादीगण के पूर्वज दुर्गादत्त के नाम दर्ज हो गई । यह आराजी वादीगण के पिता ने दुर्गादत्त को उसके पास कोई काम धन्धा नहीं होने के कारण 3-4 साल के लिये बंटाई पर दी थी। जबकि खसरा गिरदावरी सं0- 2012 व 2016 में वादीगण के पिता मांगीलाल का नाम दर्ज है । ख0नं0 381 के हाल ख0नं02545 बने है । अदालत मातहत में पक्षकारो के मध्य दिनांक 2-1-2012 को राजीनामाहो गया । जिसमें उक्त आराजी को वादीगण के नाम दर्ज किये जाने में कोई ऐतराज नहीं किया । किन्तु अदालत मातहत ने दावा केवल राजस्व हानि होना मानकर खारिज कर दिया । जिसके विरूद्ध अपील पेश की गई ।

अपील दर्ज रजिस्टर कर पक्षकारो को जरिये नोटिस तलब किया गया । अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई । बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बहस बगौर समाइत की गई ।पत्रावली का अवलोकन किया गया ।रेस्पोडेन्ट ने अपीलान्ट की अपील को मुताबिक राजीनामा स्वीकार किये जाने मे कोई ऐतराज नहीं किया है ।प्रदर्श-1 जमाबन्दी सं0 2065 से 2068 में ख0नं0 2545 रकबा 0.44 हैक्टर की खातेदारी रेस्पोडेन्ट संख्या-1 से 3 के नाम दर्ज है मिलान क्षेत्रफल के अनुसार गत ख0नं0 381 के हाल ख0नं0 2545 रकबा 0.44 हैक्टर बने हैं ।प्रदर्श-3 खतौनी बन्दोबस्त सम्वत 1999 में ख0नं0 381 के खातेदार एवं

काश्तकार के कालम में वादीगण के पिता मांगीलाल वल्द रामदयाल का नाम दर्ज है ।तथा खसरा गिरदावरी सं0-2012 से 2016 में वादीगण के पिता के नाम काश्त दर्ज हैसम्वत 2016 के बाद प्रतिवादी सं0-1 से 3 के पति/पिता दुर्गादत्त के नाम दर्ज हुई है ।जिसके लिये रेस्पोडेन्ट ने राजीनामा कर यह स्वीकार किया है कि उक्त आराजी की खातेदारी वादीगण के नाम दर्ज की जाती है तो प्रतिवादीगण को कोई ऐतराज नहीं पक्षकारों के मध्य लोक अदालत ꣸ की भावना से राजीनामा हो गया है तो अदालत मातहत को उनकी भावना के अनुसार निर्णय किया जाना चाहिये था किन्तु अदालत मातहत ने राजस्व की हानि होना दर्ज कर दावे का निर्णय किया है ।राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया । राजस्व रेकार्ड खसरा बन्दोबस्त सम्वत 1999 एवं खसरा गिरदावरी सं0- 2012 से 2015 तक वादी के पिता मांगीलाल की खातेदारी एवं काश्त दर्ज है उसके बाद यह आराजी प्रतिवादीगण के पति/पिता दुर्गादत्त के नाम दर्ज हो गई ।अतः हम प्रकरण को इन दस्तावेजों एवं प्रस्तुत राजीनामा के मध्य नजर पुनः निर्णय हेतु रिमाण्ड किया जाना उचित मानते है ।

अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उप खण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर खेतडी का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23-3-2012 खारिज किया जाता है तथा प्रकरण अदालत मातहत को रिमाण्ड किया जाता है । पक्षकार अदालत मातहत में दिनांक 23-8-2018 को उपस्थित होवें ।

निर्णय सुनाया गया ।

27/6/18

(भंवरलाल मेहरड़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी